दैनिक जागरण

जिसे हारने का भय हो, वह अवश्य हारेगा

सीएए पर अडिग सरकार

जोधपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर एक इंच भी पीछे न हटने की बात कहकर यही स्पष्ट किया कि सरकार अपने फैसले पर अडिग है। उसे अडिग रहना भी चाहिए, क्योंकि अब इस कानून से पीछे हटने का मतलब होगा दुष्प्रचार और साथ ही भ्रम एवं हिंसा फैलाने वाली राजनीति के समक्ष घुटने टेकना। विपक्ष को भी यह समझ आए तो बेहतर कि वह किसी मसले पर लोगों को बहुत दिनों तक गुमराह नहीं कर सकता। उसे इसका आभास होना चाहिए कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उपजा संशय छंट रहा है और लोग यह समझने लगे हैं कि यह तो वह कानून है जिसका किसी भारतीय नागरिक से कोई लेना-देना ही नहीं। यदि विपक्ष यह मांग नहीं कर रहा है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बहुसंख्यकों को भी नागरिकता संशोधन कानून के दायरे में लाया जाए तो फिर उसे यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह चाहता क्या है? उसे यह भी बताना होगा कि उसकी ओर से किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि यह कानून भेदभाव भरा और संविधान के खिलाफ है? ध्यान रहे कि नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम याचिकाएं दायर की गई हैं उनमें एक बड़ी संख्या विपक्षी नेताओं की ओर से दायर याचिकाओं की है। आखिर ये याचिकाएं दायर करने वाले विपक्षी नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के लिए तैयार क्यों नहीं?

विपक्षी नेताओं को इसका भी अहसास होना चाहिए कि वे अब नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी को नागरिकता संशोधन कानून के साथ जबरन नत्थी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री के बाद गृहमंत्री की ओर से भी यह स्पष्ट किया जा रहा है कि फिलहाल इसे लेकर कोई पहल नहीं हो रही है। क्या इसके बाद भी विपक्ष एनआरसी को लेकर लोगों को भ्रमित और भयभीत करने का काम जारी रखेगा? कहना कठिन है कि वह क्या करेगा, लेकिन यह तो स्पष्ट ही है कि उसने जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह तब है जब एनपीआर जनगणना का हिस्सा है। एनपीआर के खिलाफ लोगों को जिस तरह इसके लिए बहकाया जा रहा है कि वे न तो कोई कागज दिखाएं और न ही किसी तरह का फार्म भरें, उसे देखकर तो यही लगता है कि जनगणना के खिलाफ मोर्चा खोला जा सकता है। चूंकि सत्तापक्ष विपक्षी दलों के तेवरों से परिचित हो चुका है इसलिए उसे भी उन कारणों की तह तक जाने और उनका निवारण करने की जरूरत है जिनके चलते कुछ लोग सीएए पर जनता को इतनी आसानी से गुमराह करने में सफल हो गए?

अपराध और सियासत

पंजाब में आए दिन हो रही हत्याओं और इनके पीछे राजनीतिक दलों, खासकर सत्तापक्ष के लोगों की शमूलियत की आ रही बू राज्य की कानून-व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रही है। हर बार जब चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दल पंजाब की कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर मंचों से तो दुहाई देते ही हैं, घोषणापत्रों तक में वादे करते हैं, परंतु सत्ता में आते ही सारे वादे जैसे हवा हवाई हो जाते हैं। जिस भी दल की सरकार सत्ता में आती है उसके नेताओं में एकाएक बदलाव देखने को मिलता है। चुनावी रंजिश मिटाने से लेकर चुनाव में प्रतिद्वंद्वी रहे नेताओं को दबाने के लिए कानून तक को अपने हाथ में ले लेते हैं। पंजाब में हाल में हुई दो हत्याओं के पीछे भी प्रतिशोध की भावना सामने आ रही है। सत्ताधारी दल के नेताओं पर ही आरोप लग रहे हैं कि हत्याएं चुनावी रंजिश के कारण करवाई गई हैं। गुरदासपुर में अकाली सरपंच को पहले गोलियां मारी गईं और फिर तेजधार हथियारों से उसकी हत्या कर दी गई। इसके पीछे भी कारण राजनीतिक रंजिश सामने आया है। अमृतसर के मजीठा में अकाली सरपंच के पति को सरेआम गोलियों से भून डाला गया। जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप है वह पंचायत चुनाव में मरहूम की पत्नी से हार गया था और तभी से सरपंच के पति को ठिकाने लगाने की योजना बना रहा था। हालांकि इन मामलों की जांच चल रही है, परंतु विपक्षी दल जांच पर भी सवाल उठाकर इसे मुद्दा बनाने लगे हैं। अकाली दल ने उसके दो नेताओं की हत्या को लेकर सत्तापक्ष के एक मंत्री का सरेआम नाम लिया है और आरोप लगाया है कि अमृतसर की जेल में पांच सितारा सुविधाओं का उपयोग कर रहे एक गैंगस्टर की मदद से हत्याओं को अंजाम दिया गया है। वैसे राज्य में चुनाव के बाद रंजिशन एक-दूसरे को प्रताड़ित करने या फिर हत्या तक करवा देने का यह खेल नया नहीं है। सालों से ऐसा चलता आ रहा है, लेकिन यह परंपरा सूबे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह दोनों ही मामलों की निष्पक्षता से जांच करवाए और जिसकी भी इनमें संलिप्तता नजर आए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश दे, ताकि अराजकता फैलाने वालों में सख्त संदेश जा सके।

वैसे पंजाब में चुनाव के बाद रंजिशन एक-दूसरे को प्रताड़ित करने या फिर हत्या तक करवा देने का यह खेल नया नहीं है। सालों से ऐसा चलता आ रहा है, लेकिन यह परंपरा सूबे की सेहत के लिए ठीक नहीं है

असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश

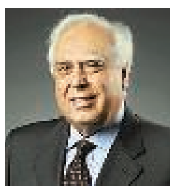

कपिल सिब्बल

आर्थिक मोर्चे पर नाकामी के चलते मोदी ध्रुवीकरण के जरिये राजनीतिक लाभ लेने की जुगत में हैं। नागरिकता संशोधन कानून इसी कड़ी का हिस्सा लगता है

साल के अंत में सभी उपक्रम अपनी स्थिति की पड़ताल करते हैं कि आखिर क्या गलत हुआ और उसे सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। राजनीति में यह कवायद लगभग असंभव है। राजनीतिक दल विरले ही अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। उनका एजेंडा लंबी अवधि को ध्यान में रखकर काम करता है। यह एजेंडा अक्सर वैचारिक आवरण में लिपटा होता है। चूंकि राजनीति में संभावित परिणामों के निश्चित विश्लेषण को लेकर तमाम जटिलताएं होती हैं इसलिए यह बताने का जिम्मा बाहरी लोगों पर आ जाता है कि गुजरे हुए वक्त में आखिर क्या-क्या गलत हुआ? इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा सबसे पहले करनी होगी। मोदी को भारत और उसके इतिहास एवं संस्कृति की कोई समझ नहीं है। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि अनूठी ऐतिहासिक ताकतों ने भारत को जन्म दिया है। इनमें से किसी भी शक्ति का संबंध किसी विशेष नस्ल, धर्म या भाषा से नहीं है। कोई भी व्यक्ति अभी तक इस विविधता की थाह नहीं ले पाया है। कोई भी आक्रांता कभी भारत की आत्मा पर प्रहार नहीं कर सका। स्पष्ट है कि जब तक आप भारत को समझेंगे नहीं तब तक उस पर भलीभांति शासन नहीं कर सकते।

भारत पर कोई एजेंडा नहीं थोपा जा सकता। ब्रिटिश साम्राज्य और उसकी सरपरस्ती में चलने वाली रियासतों के दौर में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही हमारी राष्ट्रीयता की आधारशिला रखी जा चुकी थी। राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न विचारों, संस्कृति और भाषाई विविधता का समावेश था। इन तत्वों की अनुपस्थिति में हमारी राष्ट्रीयता अर्थ खो देती। यदि मोदी विविधता के पर्याय भारत को एकजुट करने में कांग्रेस के महान योगदान को समझते तो उन्हें महसूस होता कि भारत की बुनियाद के लिए हिंदुत्व एक अभिशाप है।

जहां तक हिंदुओं की बात है तो वे खुद एक जातिगत वर्ण व्यवस्था की जकड़न में फंसे हुए हैं। ऐसे में हिंदू को परिभाषित करना ही मुश्किल है। दलित और पिछड़े वर्गों के लोग सदियों से सवर्ण जातियों के हाथों हुए अपमान और उत्पीड़न को न भूल सकते हैं और न उसके लिए उन्हें माफ कर सकते हैं। आरएसएस और भाजपा जिस किस्म के हिंदुत्व को बढ़ावा देकर हिंदू धर्म की सभी धाराओं को एक मंच पर लाना चाहते हैं, वह रणनीति कारगर नहीं हो सकती। मोदी को यह समझने की दरकार है।

पहले 2014 और फिर 2019 में मोदी को इतनी बड़ी चुनावी सफलता इसीलिए मिली, क्योंकि उन्होंने लोगों को अच्छे दिनों का सपना दिखाया। जमीनी स्तर पर आरएसएस का सुगठित ढांचा मोदी के लिए और मददगार साबित हुआ। वहीं विपक्षी खेमा ऐसे ही किसी आकर्षक वैकल्पिक एजेंडे के जरिये जनता को लुभा नहीं सका।

आज समस्या यह है कि मोदी ने जो सपना दिखाया वह चकनाचूर हो गया है। नोटबंदी और बेतरतीब तरीके एवं जल्दबाजी में लागू किए गए जीएसटी ने अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया है। बेरोजगारी ने देश के युवाओं को आक्रोशित कर दिया है। हाल-फिलहाल राहत के कोई आसार नहीं दिख रहे। निर्यात पस्त है। आयात भी सुस्त है। 1980 के दशक के बाद पहली बार ग्रामीण मांग में कमी का रुख देखा जा रहा है। कंपनियों के मुनाफे में भारी कमी आई है। कंपनियों द्वारा ब्याज अदायगी और उनके मुनाफे में अंतर पांच प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया। कृषि क्षेत्र बमुश्किल दो प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रहा है। सरकारी बैंकों का एनपीए घटकर हालांकि 9.3 प्रतिशत हो गया है, लेकिन यह अभी भी असहज करने वाले स्तर पर कायम है। कर्ज की मांग में जबरदस्त कमी आई है। यहां तक कि आइटी क्षेत्र की कमाई को भी गहरा झटका लगा है। बिजली उपभोग से लेकर उद्योगों में कच्चे माल की खपत कम हुई है। परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष कर संग्रह में आशाजनक बढ़ोतरी के संकेत नहीं दिख रहे। अप्रत्यक्ष कर राजस्व में भी अपेक्षा से कम का रुझान है। इससे सरकारी खर्च के लिए खजाना तंग होता जाएगा। कुल मिलाकर हमारा आर्थिक परिदृश्य बदरंग दिखाई पड़ता है।

अवधेश राजपूत

चूंकि मोदी आर्थिक मोर्चे को नहीं साध सकते तो वह देश में ध्रुवीकरण के जरिये राजनीतिक लाभ लेने की जुगत में हैं। इससे दो मकसद पूरे होते हैं। एक तो लोगों का रोजमर्रा के वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटता है। दूसरा मकसद राजनीतिक पूंजी जुटाने का है। यह सही है कि असम में एनआरसी की कवायद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई, लेकिन इसे मोदी सरकार का पूरा समर्थन मिला। ऐसा इसलिए, क्योंकि सरकार को उम्मीद थी कि इससे लाखों मुस्लिम छंट जाएंगे। बहरहाल यह दांव तो उल्टा पड़ गया, क्योंकि असम एनआरसी में लाखों हिंदू बाहर हो गए। परिणामस्वरूप सरकार को नागरिकता संशोधन कानून बनाना पड़ा ताकि गैर-मुस्लिम अवैध प्रवासियों को नागरिकता दी जा सके। असम इस पर इसीलिए उद्वेलित है, क्योंकि स्थानीय लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों में से किसी को भी अपने यहां नहीं रखना चाहते। इससे उन्हें अपनी जनसांख्यिकी बिगड़ने का अंदेशा है। शेष भारत में लोग इस कारण सशंकित हैं कि उन्हें लगता है कि ऐसी कवायद से उनका भारत में रहने का अधिकार खतरे में पड़ सकता है। राष्ट्रव्यापी एनआरसी को लेकर बहुत कम समर्थन मिलता दिख रहा है। तकरीबन सभी गैर-भाजपा शासित राज्यों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने सूबों में एनआरसी की इजाजत नहीं देंगे। अब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर की कवायद को भी संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें तमाम अतिरिक्त सूचनाएं मांगी जा रही हैं।

छात्रों की छवि बिगाड़ने की अतार्किक कोशिश ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। पुलिस की ज्यादती ने देश भर के लोगों को एकजुट कर दिया और वे मोदी सरकार की विभाजनकारी नीतियों के विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं। अगर यह आंदोलन जोर पकड़ता है तो अर्थव्यवस्था को और झटका लगेगा। लोकसभा में स्पष्ट बहुमत के दम पर मोदी को अर्थव्यवस्था के कायाकल्प में जुटना चाहिए था, मगर राजनीति की बिसात पर अर्थव्यवस्था हत्थे से उखड़ गई। राजनीति को ध्यान में रखकर लिए गए आर्थिक फैसले बंटाधार कराने वाले रहे। राजनीति भी गलत दिशा में जा रही है, क्योंकि एक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में हिंदुत्व की प्रकृति लोकतंत्र एवं समतामूलक समाज के विरुद्ध है। इसके वैचारिक प्रवर्तन में समावेशन की क्षमता नहीं है। नए वर्ष में मोदी को यह सोचना होगा कि क्या वह अपनी हठधर्मिता कायम रखेंगे या अपने बहुमत का इस्तेमाल पेशेवर तरीके से फैसले कर अर्थव्यवस्था के कायाकल्प में करेंगे? इन विकल्पों में से उनका चयन ही हमारे भविष्य को निर्धारित करेगा। वैसे किसी भी सूरत में चुनौतियां कम नहीं रहेंगी।

(लेखक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं)

response@jagran.com

बीमारियों से लड़ने की मुहिम

डॉ. हर्षवर्धन

272 जिलों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज के लिए हो रहा प्रयास स्वच्छ और समृद्ध भारत का सपना साकार करने वाला है

आज दुनिया कई गंभीर बीमारियों के उन्मूलन की दहलीज पर खड़ी है और कुछ अन्य को वह पहले से ही समाप्त कर चुकी है। टीकाकरण 21वीं सदी का एक सबसे प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयास साबित हुआ है। डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि टीकाकरण के कारण प्रत्येक वर्ष 25 लाख लोगों का जीवन सुरक्षित हो पाता है और लाखों बच्चों का मृत्यु, जन्मजात विकृतियों और आजीवन विकलांगता से बचाव होता है। आज दुनिया पोलियो उन्मूलन के बेहद करीब पहुंच चुकी है। अमेरिका में मीजल्स, रूबेला को और दक्षिण-पूर्व एशिया में मां एवं नवजात को होने वाले टेटनस को समाप्त कर दिया गया है।

भारत हमेशा से अपने लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए संघर्ष करता रहा है। आज से लगभग पांच वर्ष पहले 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष नाम से एक महत्वपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकों द्वारा सात बीमारियों से बचाव करना था। मिशन का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर किया गया था। तब से इस कार्यक्रम में नए टीके भी जोड़े गए हैं और अब हम अपने बच्चों को दस बीमारियों से बचाव के टीके प्रदान कर रहे हैं, जिनमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, रूबेला, बचपन के गंभीर क्षय रोग, रोटावायरस डायरिया, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस एन्फ्लुएंजा टाइप बी से होने वाले मेनिंजाइटिस और निमोनिया से बचाव शामिल है। इसके साथ ही न्यूमोकोकल निमोनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव के टीके भी उपलब्ध हैं।

बीते दिसंबर माह से ही सघन मिशन इंद्रधनुष के संस्करण 2.0 (आइएमआइ 2.0 यानी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष) की शुरुआत की गई है। इसके तहत 27 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के 272 जिलों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज के लिए तेज प्रयास किए जा रहे हैं। यह मिशन बिहार और उत्तर प्रदेश के 109 जिलों के 650 ब्लॉकों तक टीकाकरण कवरेज के लिए पहुंचा है। इस मिशन की पांचवीं वर्षगांठ इस लिहाज से खास रही कि इसने सर्वव्यापक स्वास्थ्य कवरेज लक्ष्यों के विस्तार और 'सबके स्वास्थ्य और सबके विकास के लिए सबका साथ' के दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाया। जब भारत आजाद हुआ था तो देश को कई संक्रामक और घातक बीमारियों का सामना करना पड़ा था। यदि हम टीकाकरण की पूरी यात्रा की समीक्षा करें तो यह एक लंबी और सफल यात्रा मानी जाएगी।

भारत को आज पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया है और अब हम मातृ एवं नवजात टेटनस से भी मुक्त प्रमाणित हो चुके हैं। भारत की उपलब्धि की सराहना करते हुए विश्व के अत्यंत सम्मानित परोपकारी बिल गेट्स ने आधिकारिक तौर पर कहा कि 'भारत की उपलब्धि सबसे प्रभावशाली वैश्विक कहानी है।'

आज से करीब 26 वर्ष पहले दिसंबर 1993 में, जब मैं दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य मंत्री था, मैंने उन हजारों परिवारों के कष्टों के बारे में जाना, जिनके घरों में पोलियो की बीमारी से पीड़ित शिशु थे। मैंने भारत से पोलियो उन्मूलन की दिशा में एक मिशन मोड में काम शुरू करने का संकल्प लिया और जल्द ही मैं पोलियो मुक्त भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान का अग्रदूत बना। वास्तव में पल्स पोलियो अभियान सबसे बड़ा निजी-सरकारी भागीदारी का अनूठा अभियान बना। भारत को वर्ष 2014 में पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया। मैंने अपनी इस यात्रा के यादगार अनुभवों को एक पुस्तक 'ए टेल ऑफ टू ड्राप्स' के रूप में प्रस्तुत किया है।

इंद्रधनुष मिशन के तहत बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण कवरेज को 90 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया। मिशन इंद्रधनुष एवं विस्तृत ग्राम स्वराज अभियान के विभिन्न चरणों में 3.39 करोड़ से अधिक बच्चों और 87.2 लाख गर्भवती महिलाओं को जीवन रक्षक टीके लगाए जा चुके हैं। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की होने वाली मृत्यु दर 126 प्रति हजार जीवित जन्म से घटकर 37 प्रति हजार जीवित जन्म रह गई है, जो वैश्विक दर से बहुत आगे है। इन परिणामों से उत्साहित होकर प्रगति को और तेज करने के लिए 'सघन मिशन इंद्रधनुष' की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के वडनगर में 2017 में की गई। प्रधानमंत्री ने जनता से सघन मिशन इंद्रधनुष को एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया और अभिभावकों से अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने की अपील की।

सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 को 'कोई पीछे न छूटे' के मंत्र के साथ प्रारंभ किया गया है। ऐसा करने के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, जिसमें 'सभी के लिए सुनिश्चित, सुरक्षित और उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शामिल है', की दिशा में हमें सभी हितधारकों के साथ मिल कर काम करने की आवश्यकता है।

मेरा संकल्प 90 प्रतिशत के पूर्व निर्धारित लक्ष्य से भी आगे जाना है। ऐसा कोई कारण नहीं कि हम एक स्वस्थ राष्ट्र निर्माण हेतु 100 फीसद टीकाकरण के लिए एक असाधारण प्रयास नहीं कर सकते। आज देश गरीबी और बीमारी के दुखों से मुक्त होकर अपने लोगों की ऊर्जा और क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। हमें पूरे जोश के साथ इस प्रयास में शामिल होकर 'स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत' का सपना साकार करना चाहिए।

(लेखक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

गुरुता

गुरु का वास्तविक अर्थ तो यही ध्वनित होता है कि जो जीवन में गुरुता यानि वजन-शक्ति बढ़ाए। यह भौतिक पदार्थों से नहीं, बल्कि सत-शास्त्रों के निरंतर अध्ययन और चिंतन-मनन से ही संभव है। बाहरी गुरु से धोखा हो सकता है, लेकिन सत्साहित्य से निरंतर व्यक्ति वजनदार होता जाता है। सच तो यह है कि हर मनुष्य 'गोविंद' बन कर ही जन्म लेता है। यही कारण है कि ईश्वर के पाने जैसा सुख जन्म देते ही मां को मिलता है। कबीर कहते हैं कि भगवान और गुरु दोनों साथ मिलें तो गुरु के चरणों मे समर्पित हो जाना चाहिए।

जिस गुरु की ओर कबीर का संकेत है उस गुरु के दो चरण हैं। पहला चरण बुद्धि और दूसरा चरण विवेक है। जिसने भी गुरु के इन चरणों को मजबूती से पकड़ लिया उसका गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष उसी की ओर खींचे चले आते हैं। इस गुरु को बाह्यजगत में तलाशने के बजाय अंतर्जगत में ही तलाशना पड़ेगा। इस गुरु को पाने के लिए मां के गर्भ में नौ माह पोषित होते समय स्नेह, प्रेम, करुणा, दया, आत्मीयता एवं आनंद की जो अनुभूति हुई उसी को जीवन में विकसित करने की जरूरत है। ये सारे गुण व्यक्ति के गुरुत्व को बढ़ाते हैं। कहा भी गया है कि गुरु वही जो अपने शिष्य से हार जाए।

कठिनाई यही है कि इसे पाने का स्थान कहीं है और तलाश कहीं और हो रही है। मुट्ठी बांध कर जन्म लेते समय बच्चा इसीलिए रोता है कि मां के गर्भ में जो अनमोल रत्न मिला जिसे वह मुट्ठी में बांधकर संसार में आया, वहां इसकी जरूरत ही नहीं। अंत में सब गंवा के खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। इसलिए गुरु के लिए मंत्रवाक्य 'शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान' शत प्रतिशत सही है। यह 'शीश' अहंकार का है जिससे मान-सम्मान, चर्चा-ख्याति के लिए नकारात्मक कार्य करने पड़ते हैं और कितनी ऊर्जा व्यर्थ में गंवा देनी पड़ती है। अंधकार में प्रकाश फैलाने वाला पूर्णिमा का चंद्रमा यह कह रहा है कि आकाश-सी ऊंचाई और व्यापकता चाहिए तो इन गुणों को आत्मसात करना चाहिए।

सलिल पांडेय

जाति की जकड़न

देवेंद्रराज सुथार

जाति उन्मूलन के लिए राजनीतिक नेतृत्व की दृढ़ इच्छाशक्ति और ईमानदारी आवश्यक है

केरल में एक सम्मेलन के शुभारंभ के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने जातिगत भेदभाव खत्म करने की बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक और तकनीकी मोर्चे पर देश ने महत्वपूर्ण कामयाबी अर्जित की है, लेकिन जाति, समुदाय और लिंग के आधार पर भेदभाव के बढ़ते मामले बड़ी चिंता का कारण हैं। देश से जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए और भविष्य का भारत जातिविहीन और वर्गविहीन होना चाहिए। उन्होंने गिरजाघरों, मस्जिदों और मंदिरों के प्रमुखों से जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए काम करने को कहा है।

निःसंदेह जाति प्रथा एक सामाजिक कुरीति है। यह विडंबना ही है कि देश को आजाद हुए सात दशक से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी हम जाति प्रथा के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाए हैं। हालांकि एक लोकतांत्रिक देश के नाते संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किए जाने की बात कही गई है। लेकिन विरोधाभास है कि सरकारी नौकरी के लिए आवेदन या चयन की प्रक्रिया के वक्त जाति को प्रमुखता दी जाती है। जाति प्रथा न केवल हमारे मध्य वैमनस्यता को बढ़ाती है, बल्कि ये हमारी एकता में भी दरार पैदा करने का काम करती है। जाति प्रथा प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में बचपन से ही ऊंच-नीच के बीज बो देती है। अमुक जाति का सदस्य होने के नाते किसी को लाभ होता है तो किसी को हानि उठानी पड़ती है। जाति श्रम की प्रतिष्ठा की संकल्पना के विरुद्ध कार्य करती है। जाति प्रथा से आक्रांत समाज की कमजोरी विस्तृत क्षेत्र में राजनीतिक एकता को स्थापित नहीं करा पाती तथा यह देश पर किसी बाहरी आक्रमण के समय एक बड़े वर्ग को हतोत्साहित करती है। स्वार्थी राजनीतिज्ञों के कारण जातिवाद ने पहले से भी अधिक भयंकर रूप धारण कर लिया है, जिससे सामाजिक कटुता बढ़ी है।

जाति प्रथा के कारण ही भारत के विभिन्न धार्मिक समूह सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक दूसरे के समीप नहीं आ सके, जिसके कारण एक सुदृढ़ समाज का निर्माण नहीं हो सका। जाति प्रथा ने अंततोगत्वा देश में विभाजन ही पैदा किया। जातिवाद राष्ट्र के विकास में मुख्य बाधा है। जो सामाजिक असमानता और अन्याय के प्रमुख स्रोत के रूप में काम करता है। इसका समाधान अंतरजातीय विवाह के रूप में हो सकता है। अंतरजातीय विवाह से जातिवाद की जड़ें कमजोर होंगी। आधुनिक समय में किसी भी व्यक्ति के जीवन में जाति उसी समय देखी जाती है, जब उसका विवाह होता है। यदि इस बुराई का समूल नाश करना है तो ऐसे कदम उठाने होंगे जो विवाह के समय जाति की संगतता समाप्त कर दे। कम से कम राजपत्रित पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे अपने आप ही जाति की सीमित दायरे से बाहर अपना विवाह करें। अंतरजातीय विवाह करने वाले को सरकारी पदों पर नियुक्ति में वरीयता दी जानी चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

बेवजह का विरोध

सरकार के विरोध का बहाना है सीएए शीर्षक से लिखे अपने लेख में प्रकाश सिंह ने बताया है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के पीछे मोदी सरकार की छवि को धूमिल करने वाली ओछी राजनीति है। इसमें कोई दोराय नहीं कि मोदी सरकार को देशहित और जनहित के फैसले लेते रहने चाहिए, लेकिन उसे अपने आलोचकों की बातों पर भी गौर करते रहना चाहिए। उसे अपने फैसलों पर आत्ममंथन कर सामने आने वाली गलतियों को भी सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि निंदकों की निंदा से ही कोई ऐसी युक्ति निकल आए जो देशहित और जनहित के लिए और भी महत्वपूर्ण हो। लोकतंत्र में विपक्ष का काम ही होता है, सता पार्टी की नीतियों का विरोध करना। लोकतंत्र में जितना महत्व लोगों द्वारा चुनी सरकार का होता है उतना ही विपक्ष का भी होता है। सीएए को लेकर कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस जैसे विपक्षी दल शायद इसीलिए बौखला कर हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते हुए अपना जो वोट बैंक बढ़ाया था उस पर उन्हें खतरे के बादल मंडराते हुए दिख रहे। कांग्रेस ने, जिसने देश पर भाजपा से ज्यादा समय तक राज किया, क्यों नहीं अवैध रूप से बसेरा करने वालों की पहचान करने के लिए कठोर कदम उठाए? मुस्लिम देशों में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों के लिए क्यों आवाज नहीं उठाई और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति अमल में नहीं लाई? हमारा देश हर धर्म के लोगों का रक्षक बेशक बनता आ रहा है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं होना चाहिए कि देश को धर्मशाला ही बना दिया जाए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

मेलबाक्स

कलाम का स्वप्न अधूरा

मिसाइल मैन के नाम से दुनिया भर में मशहूर पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने बीस साल पहले भारत के लिए एक बड़ा सपना देखा था। सपना था भारत के समग्र विकास का। कलाम ने भारत के लिए विजन-2020 तैयार किया था। जिसमें कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं और सोलर पावर का विस्तार, शिक्षा एवं हेल्थकेयर, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, परमाणु प्रौद्योगिकी की ग्रोथ के लिए जरूरी तकनीक और रणनीतिक उद्योगों को बेहतर करने की बात कही गई थी। लेकिन क्या हम आज यह कह सकते हैं कि हमने उन उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया है, जिसका सपना डॉ. कलाम ने देखा था? सच्चाई तो यह है कि इनमें से कई विषयों पर आज भी निराशा ही व्याप्त है। वर्तमान समय में जहां कृषि घाटे का सौदा बन रही है, बेरोजगारी की स्थिति बहुत बुरी है। ऐसी स्थिति में हम कैसे भारत को विकसित भारत बना पाएंगे? संभवतः सरकार देश में कहीं न कहीं सिलसिलेवार होने वाले चुनाव व अन्य मसलों में उलझी रहती है। उसे इन सब विषयों पर काम करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता है।

gautamsr08@gmail.com

सही विश्लेषण

दैनिक जागरण के 2 जनवरी के अंक में प्रकाशित दिव्य कुमार सोती का लेख, पड़ोस के अल्पसंख्यकों की घातक अनदेखी, पढ़ा। इसमें लेखक ने गजब का विश्लेषण किया है, जो न केवल सत्य तथा सटीक है, बल्कि आंकड़ों के साथ स्वयं सिद्ध भी है। सरकार को चाहिए कि इस लेख की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां और आंकड़ें आम जनता को प्रसारित करे ताकि लोग सच्चाई को जान सकें। सत्य का प्रचार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जनता कभी-कभी झूठ को सत्य मान बैठती है।

ओपी जैन, सूरजमल विहार, दिल्ली

प्रशासन की कमी

राजस्थान के कोटा में सैकड़ों बच्चों के दम तोड़ने की चिंता छोड़ प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्यमंत्री के बयान आश्चर्यचकित करने वाले हैं। एक मुख्यमंत्री के पास सभी तरीके के संसाधन होते हैं और पूरा सिस्टम, जो हर आने वाली समस्या से निपटने में सक्षम होता है। मुख्यमंत्री को इतना तो देखना चाहिए कि अगर इतने बड़े पैमाने पर बच्चों की मृत्यु हो रही है तो इसका कुछ कारण जरूर हो सकता है। हर बच्चे की मृत्यु का कारण एक ही वजह से जोड़ना गलत है जिससे प्रशासन की कमी ही उजागर होती है।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।